तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. है। तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पैरोकार सरकार उप. है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थिया मीरा बाई के पति का नाम "मनराज आ० मंगला" के स्थान पर "इन्द्रराज आ० मंगला" किया जाकर तत्सम्बन्धित अंकन जमाबन्दी एवं अन्य समस्त राजस्व रिकार्ड में संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 7-9-22 के अनुसार ग्रामवासियों से पूछने पर मनराज व इन्द्रराज एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तहसीलदार नैनवां के जवाब के अनुसार मनराज के स्थान पर इन्द्रराज किया जाना उचित बताया।
	हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब तहसीलदार नैनवां एवं बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम डेलपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी की जमाबंदी सम्वत् 207[illegible] [illegible] नया 117 के [illegible] के खाता सं. [illegible] खसरा संख्या $\frac{379}{0.4369}$, $\frac{38[illegible]}{0.1[illegible]}$, [illegible] $\frac{362}{0.4[illegible]}$ [illegible] 0.[illegible]71, कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.0599 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 15:57:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे दर्ज "मनराज पुत्र मंगला" के स्थान पर "इन्द्रराज पुत्र मंगला" जाति मीना संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	
12.11.22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे आज पेश हुई। पत्रावली मे दिनांक 01.11.22 को निर्णय किया जा चुका है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	
	सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति	
	अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 15:57:19 IST
Reason: SelfAttested